भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1123

08 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: कृषकों का वर्गीकरण

1123. श्री.आर.के.सिंह पटेल:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषकों को लघु, सीमांत, गरीबी रेखा से नीचे के तथा अन्य पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में जोतों का औसत आकार छोटा तथा सीमांत है, जोकि कृषकों के लिए अव्यवहार्य है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी उत्पादकता को बेहतर बनाने हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट के अनुसार, देश में 85 प्रतिशत कृषक परिवारों की कृषि आय अपर्याप्त है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): कृषि संगणना में, प्रचालन जोत को पांच आकार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

क्रमांक	वर्ग	आकार वर्ग
1.	सीमांत	1.00 हेक्टेयर से कम
2.	छोटा	1.00 - 2.00 हेक्टेयर
3.	अर्द्ध मध्यम	2.00 - 4.00 हेक्टेयर
4.	मध्यम	4.00 - 10.00 हेक्टेयर
5.	बड़े	10.00 हेक्टेयर और उससे अधिक

(ख): नवीनतम कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, देश में भूमि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर था। प्रचालन जोतों के औसत आकार का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है। छोटी और सीमांत जोत की उत्पादकता में सुधार के लिए, सरकार आधुनिक तकनीक और प्रणाली जैसे बहु फसल, अंतरफसलन और समेकित खेती प्रणाली (आईएफएस) को अपनाने को बढ़ावा दे रही है। राज्यों के लिए विकसित समेकित खेती प्रणाली (आईएफएस) मॉडल को संबंधित राज्य सरकारों की प्रणालियों के पैकेज में शामिल किया गया है। किसान भागीदारी शोधन और समेकित कृषि प्रणालियों के प्रदर्शन के माध्यम से इन्हें छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों के बीच लोकप्रिय बनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) भी कृषि जोतों की उपज और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्थान विशिष्ट किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

(ग): छोटे और सीमांत किसानों के पारिश्रमिक को बढ़ाने के लिए, सरकार प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), के तहत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) कार्यक्रम, नीम लेपित यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के संवर्धन की योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन का कार्यान्वयन (एनबीएचएम), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) आदि प्रदान करके ब्याज छूट योजना जैसी कई योजनाएं लागू कर रही है।

लो.स.अता.प्र.सं.1123

अनुबंध

कृषि संगणना 2015-16 के परिणामों के अनुसार जोत का राज्यवार औसत आकार		
क्रमांक	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जोत का औसत आकार (हेक्टेयर में)**
1	**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**	1.78
2	**आंध्र प्रदेश**	0.94
3	**अरुणाचल प्रदेश**	3.35
4	**असम**	1.09
5	**बिहार**	0.39
6	**चंडीगढ़**	1.22
7	**छत्तीसगढ**	1.24
8	**दादर व नगर हवेली**	1.38
9	**दमन और दीव**	0.36
10	**दिल्ली**	1.39
1 1	**गोवा**	1.10
12	**गुजरात**	1.88
13	**हरियाणा**	2.22
14	**हिमाचल प्रदेश**	0.95
15	**जम्मू और कश्मीर**	0.59
16	**झारखंड**	1.10
17	**कर्नाटक**	1.36
18	**केरल**	0.18
19	**लक्षद्वीप**	0.27
20	**मध्य प्रदेश**	1.57
21	**महाराष्ट्र**	1.34
22	**मणिपुर**	1.14
23	**मेघालय**	1.29
24	**मिजोरम**	1.25
25	**नागालैंड**	4.87
26	**ओडिशा**	0.95
27	**पुदुचेरी**	0.62
28	**पंजाब**	3.62
29	**राजस्थान**	2.73
30	**सिक्किम**	1.27
31	**तमिलनाडु**	0.75
32	**तेलंगाना**	1.00
33	**त्रिपुरा**	0.49
34	**उत्तर प्रदेश**	0.73
35	**उत्तराखंड**	0.85
36	**पश्चिम बंगाल**	0.76
अखिल भारत		**1.08**

******